The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 10 | October 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 और हिंदी भाषा

डॉ. उषा शाही
विभागध्यक्ष बी.एड सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय
किच्छा उधम सिंह नगर (उत्तराखंड)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, हिंदी भाषा, मातृभाषा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, हिंदी का विकास

DOI:

10.5281/zenodo.14103659

ABSTRACT

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला और स्थानीय भाषाओं के प्रति संवेदनशील बनाना है। हिंदी भाषा को इस नीति में विशेष स्थान दिया गया है, खासकर प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा या हिंदी में शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। यह शोध पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 में हिंदी भाषा के महत्व, इसे लागू करने की चुनौतियों और संभावनाओं का विश्लेषण करता है। इसके साथ ही, नीति के तहत हिंदी के विकास और इसके प्रभाव को समझने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जिसमें हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, फिर भी शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी का वर्चस्व रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के साथ, शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को पुन: स्थापित करने का प्रयास किया गया है। हिंदी को इस नीति में एक प्रमुख भाषा के रूप में स्थान दिया गया है, जिसका उद्देश्य न केवल बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ना है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना भी है। यह शोध पत्र हिंदी भाषा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के बीच के संबंधों को विस्तार से समझाने का प्रयास करता है।

रिसर्च पेपर के उद्देश्य (Objectives of the Research Paper)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 – के तहत हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिंदी भाषा के उपयोग को समझना।
3. हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।
4. शिक्षा नीति के संदर्भ में हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए संभावित उपाय सुझाना।
5. शिक्षा में हिंदी के उपयोग से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।

शोध विधि (Research Methodology)

यह शोध पत्र मुख्य रूप से गुणात्मक (qualitative) और विश्लेषणात्मक (analytical) पद्धति पर आधारित है। NEP 2020 के आधिकारिक दस्तावेजों, शिक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों और शोध पत्रों के माध्यम से हिंदी भाषा के विकास, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। विभिन्न शैक्षिक स्रोतों और आंकड़ों का विश्लेषण कर हिंदी के महत्व और चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 और हिंदी भाषा–

14 सितम्बर 1949 को संवैधानिक स्तर पर भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता प्राप्त हुई थी,धारा 343 में कहा गया था कि "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा." इस संबंध में 1955 में राजभाषा आयोग बना। हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्णत: स्थापित करने की प्रक्रिया में आयोग द्वारा तेरह सुझाव दिए गए जिन पर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। 1965 से पूर्व 1963 में राजभाषा अधिनियम आता है. जो पुन: 1967 में संशोधित होता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत 1965 तक हिंदी को पूर्णत: राजभाषा के रूप में स्थापित कराने के आश्वासन को पुन: अनिश्चित समय तक बढ़ा दिया जाता है। जिसका सबसे बड़ा कारण गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी का घोर विरोध था। इस कारण यह कहा गया कि "26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी, जिनके लिए इससे पहले प्रयोग में लाई जाती रही है." यह व्यवस्था संविधान लागू होने से लेकर आज तक यथावत चली आ रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सरकारी नीतियों के कारण आज भी हिंदी राजभाषा में सहायक के रूप में कार्य कर रही है और एक विदेशी भाषा हमारी प्रमुख राजभाषा के रूप के

शासकीय प्रयोजनों, वार्ताओं, पत्रों, अभिलेखों की आधार भाषा बनी हुई है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाने और आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है।जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है,नई शिक्षा नीति 2020 में भाषा के संबंध में उत्पन्न उन सभी सवालों को समझा व नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया गया है जिस पर अमूमन पूरे देश में प्रत्येक हिंदी दिवस पर चर्चा होती आ रही है। इस नीति के अंतर्गत भी राजभाषा आयोग 1955 की सिफारिशों में से एक भारतीय भाषाओं के ज्ञान और सीखने की सिफारिश को शामिल किया गया है। जबकि इससे पूर्व 1968 में कोठारी आयोग (1964-66) जिसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में पहला कदम कहा जाता है, वह शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करता है।14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखता है, संस्कृत भाषा के शिक्षण को प्रोत्साहित करने व त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की सिफारिश करता है. कोठारी आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धता त्रिभाषा सूत्र को लाना था क्योंकि यह समय भाषाई आंदोलन का था जहाँ राज्य एक ओर भाषाई आधार पर अलग हो रहे थे दूसरी और हिंदी को पूरी तरह राजभाषा बनाए जाने का 15 वर्ष का समय पूर्ण हो रहा था, साथ ही दक्षिण भारत में हिंदी का घोर विरोध हो रहा था। इन विपरीत परिस्थितियों व भाषिक असहमतियों के मध्य कोठारी आयोग त्रिभाषा सूत्र को लाता है जो हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण कदम था।

कोठारी आयोग की सिफारिशों के उपरांत 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है इस नीति में 1992 में संशोधन होता है और कहा जाता है कि 1968 की शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्यक्रम में परिणत नहीं हो सके, क्योंकि क्रियान्वयन की पक्की योजना नहीं बनी, न स्पष्ट दायित्व निर्धारित किए गए। इसी कारण नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। 1986 की शिक्षा नीति में भाषा को लेकर कोई विशेष निर्देश देखने को नहीं मिलते हैं, इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को नवाचार, तकनीक, प्रौद्योगिकी, विज्ञान व मूल्यों से जोड़ना था। भाषाओं के संबंध में इतना ही कहा गया कि “1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगिक पहले थी उतनी ही आज भी है। किंतु देश भर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति को अधिक सक्रियता और सौद्देश्यता से लागू किया जाएगा”. 1968 की कोठारी आयोग की सिफारिशें हो या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों ही भाषा के संदर्भ में अधिक मुखर नहीं होती है जितनी की नई शिक्षा नीति 2020 होती है।

नई शिक्षा नीति-2020 में स्पष्ट रूप से शिक्षण माध्यम के रूप में भाषा के सवाल को मुख्य रूप से उठाया गया है जिसके लिए एक उप-अध्याय 'बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति' शीर्षक रखा गया है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा माध्यम के रूप में भाषा की शक्ति को पहचानते हुए विभिन्न प्रावधान व सुझाव इस शिक्षा नीति में किए गए हैं। इसमें कहा गया कि " छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/ मातृ भाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं, घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ऐसे में जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/ मातृ भाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी. इसके बाद घर/ स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा,सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे।

• विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतम गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को मातृ भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

• बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद होता हो तो उसे समाप्त किया जाएगा।

• भाषा के विकास में त्रिभाषा सूत्र को पुनः शामिल किया गया और कहा गया कि इसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होगी।

• संस्कृत, पालि, फ़ारसी, प्राकृत के साथ ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया भाषाओं को भी विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा व पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा।

सुझाव (Suggestions)

1. हिंदी के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम हिंदी :माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए और अधिक पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्रियों का विकास किया जाना चाहिएताकि छात्र विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से अध्ययन कर सकें। ,
2. हिंदी शिक्षकों का प्रशिक्षणहिंदी में शिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाह :िएताकि , क्षक आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें।शि
3. विज्ञान और तकनीकी विषयों में हिंदीऔर तकनीकी विषयों के लिए हिंदी में पाठ्यक्रम ,गणित ,विज्ञान : सामग्री और शब्दावली का विकास किया जाना चाहिए।
4. हिंदी में डिजिटल शिक्षाहिंदी भाषा : के लिए डिजिटल सामग्री और ईलर्निंग संसाधनों का व्यापक विकास - ताकि हिंदी भाषी छात्र भी डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सकें। ,किया जाना चाहिए
5. हिंदी के प्रचारप्रसार के लिए विशेष अभियान चलाए जाने -हिंदी भाषा के प्रचार :प्रसार के लिए अभियान- जिसमें सरकारी और गै ,चाहिएरनों स्तरों पर हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।सरकारी दो-

निष्कर्ष (Conclusion)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हिंदी भाषा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी है। यह नीति न केवल प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी को प्रमुखता देती है, बल्कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी इसके उपयोग को बढ़ावा देती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए डिजिटल शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस दिशा में कई चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना करना आवश्यक है। उचित नीतियों और क्रियान्वयन के माध्यम से हिंदी भाषा को भारतीय शिक्षा प्रणाली में और अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। NEP 2020 हिंदी भाषा के विकास और उसे एक समृद्ध भाषा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो भारतीय समाज को अधिक सशक्त और समावेशी बनाएगा।

संदर्भ (References):

1. www.uttamhindu.com/politics/150 172/new-education-policy-foundation (नई शिक्षा नीतिनए भारत - 2 ,की नींवअग(2020 ,.

2. www.drishtiias.com दृष्टि ,The vision (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 31 ,महत्त्व व चुनौतियाँ :July 2020)
3. www-uttamhindu-com
4. www-bbc-com/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति 29 ,जुलाई(2020 ,
5. www-bbc-com-/hindi/india-53581084 (नई शिक्षा नीति 29 ,जुलाई(2020 ,
6. दृष्टि ,The vision (चर्चित मुद्दे नई शिक्षा (नीति2020 ,
7. www.drishtiias.com नई शिक्षा नीति 25 ,अग2020 ,.
8. https://www.uttamhindu.com/Politics/150172/new-educa- tion-policy-foundations-of-new-india
9. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news- editorials/an-education-policy-that-is-sweeping-in-its-vi- sion
10. https://www.bbc.com/hindi/india-53581084